किस्म मुकदमाः– :– धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

नम्बरः– 19 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सज्जनसिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर फलौदी)**	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/8/24	अपीलार्थी सज्जन सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह निवासी काली पाईप लाईन द्वितीय के पास, पहाड़गंज द्वितीय गंज लाल सागर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2024 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फलौदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचनाऐं अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फलौदी से संबधित है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पृथक से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पृथक से लोकसूचना अधिकारी व अपील अधिकारी की नियुक्ति की हुई है। अतः प्रकरण में अपीलांट को विभाग द्वारा नियुक्त अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। न्यायालय को उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	जिला मजिस्ट्रेट फलौदी (राज.)